27.1.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप०।
वकील वादी ने प्रार्थना पत्र दि०
18.12.24 आदेश के प्रतिवादीगण 5,6,7,8,
9,10,11 व 13 के विरुद्ध वाद का वापस लेने
किये जाने का पेश किया था, जो
स्वीकार किया जाता है, प्रतिवादी
गण 5,6,7,8,9,10,11 व 13 के विरुद्ध
कार्यवाही Drop की जाती है। प्रतिवादी
सं० 12 बावजूद तामील उप० नहीं है
अतः प्रति सं० 12 के विरुद्ध एकतरफा

उनवान .... बनाम ....

रा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
	कार्यवाही की जाती है। आदेश 14 नियम [illegible] [illegible] का वादपत्र के [illegible] वादपत्र के अनुसार [illegible] 1 से 10 तक डाली गयी। वकील वादी एकपक्षीय [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] किये जाने का निवेदन किया गया। [illegible] अधिवक्तागण सुनी गई। [illegible] पत्रावली का अवलोकन से [illegible] किया गया। पत्रावली के [illegible] [illegible], शपथपत्र, [illegible] उपलब्ध है, जिसके आधार [illegible] का कोई [illegible] किये जाने [illegible] स्वीकार किया जाकर [illegible] डिक्री किया जाता है, [illegible] लिखा जाकर [illegible] [illegible] डिक्री जारी [illegible] पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

प्रकरण संख्या – 137/22 तारीख दायरा – 14/11/2022

1. रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल आयु 68 वर्ष जाति गुर्जर
2. विष्णुप्रसाद पुत्र बद्रीलाल आयु 62 वर्ष जाति गुर्जर
3. रमेशचन्द पुत्र बद्रीलाल आयु 58 वर्ष जाति गुर्जर
4. परमानन्द पुत्र बद्रीलाल आयु 52 वर्ष जाति गुर्जर

निवासीगण ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1. कसोर पुत्री बद्रीलाल पत्नी चतुर्भुज आयु 72 वर्ष निवासी कमोलर
2. इन्द्रा बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी देवीशंकर आयु 55 वर्ष निवासी कमोलर
3. मृतक हीरा बाई पुत्री कान्हा पत्नी कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी कमोलर तहसील सांगोद जर्ये वारिसा

3/1. घनश्याम माता हीरा बाई पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम झाड आमली तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान।

3/2 रामकंवरी पुत्री हीरा बाई जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीमल्या तहसील दिगोद।

4. मृतक केसर बाई पुत्री कान्हा पत्नि गजानन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद मृतक जर्ये वारिसान :–

4/1. लक्ष्मीचन्द पुत्र श्रीमती केसर पिता गजानन्द जाति गुर्जर निवासी सोली तहसील दीगोद जिला कोटा।

4/2. श्रीमती कल्याणी बाई पुत्री स्व. केसर बाई पिता गजानन्द जाति गुर्जर निवासी बडगांव तहसील मांगरोल जिला बारां।

4/3. कलावती बाई पुत्री स्व. केसर बाई पिता गजानन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूंगरज्या तहसील दीगोद जिला कोटा।

4/4. गायत्री बाई पुत्री स्व. केसर बाई पिता गजानन्द जाति गुर्जर निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

5. केदार बाई पुत्री कान्हा पत्नि स्व. रामकिशन जाति गुर्जर निवासी सोली तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. रुपचन्द पुत्र बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा।
7. चन्द्रकला पुत्री बंशीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति गुर्जर निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां।

उपखण्ड अधिकारी

Conti.....2

Scanned with OKEN Scanner

8. मंजू बाई पुत्री बंशीलाल पत्नि हेमराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम लबानिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
9. मुन्नी बाई पुत्री बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा।
10. लाड बाई पुत्री बंशीलाल पत्नि बिहारीलाल जाति गुर्जर निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारां।
11. मोहनी बाई पत्नि बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा।
12. राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय तहसील सांगोद जिला कोटा।
13. भूली बाई पुत्री बंशीलाल पत्नि चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा जिला कोटा राजस्थान। —प्रतिवादीगण—

—:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर. टी. एक्ट ::—

उपस्थिति :—

(i) श्री रामेश कुमार शर्मा (वादी अधिवक्ता)
(ii) श्री मोहम्मद अशफाक (प्रतिवादी अधिवक्ता)
(iii) श्री उमाशंकर सहर (प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 अधिवक्ता)

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 27/01/2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण जर्ये अधिवक्ता एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की पुश्तैनी आराजीयात ग्राम कमोलर व माल ग्राम बोरदा तहसील सांगोद मे स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

अ. माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद की आराजी :—

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
नई 421	1053 कुआ वाली	0.45 हैक्टर	चाही तृतीय	9.90 रू0
	1063	0.03 हैक्टर	खेडा प्रथम	0.48 रू0
	1359 तलाई	2.28 हैक्टर	चाही द्वितीय	61.56रू0
	929	0.02 हैक्टर	गै.मु. चाह	
	930	1.28 हैक्टर	चाही द्वितीय	34.56रू0
कुल किता	5 की	कुल 4.06 हैक्टर	कुल लगानी 106.500 रुपये	

ब. माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद की आराजी :—

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
नई 133	361	0.67 हैक्टर	चाही तृतीय	14.64 रू0
	368	2.90 हैक्टर	चाही तृतीय	63.80 रू0
	376	0.01 हैक्टर	गै.मु. चाह	
	377	2.63 हैक्टर	चाही तृतीय	57.86 रू0
कुल किता	4 की	कुल 6.21 हैक्टर	कुल लगानी 136.400 रुपये	

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Conti.....3

Scanned with OKEN Scanner

यह कि वादी व प्रतिवादीगण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है :–

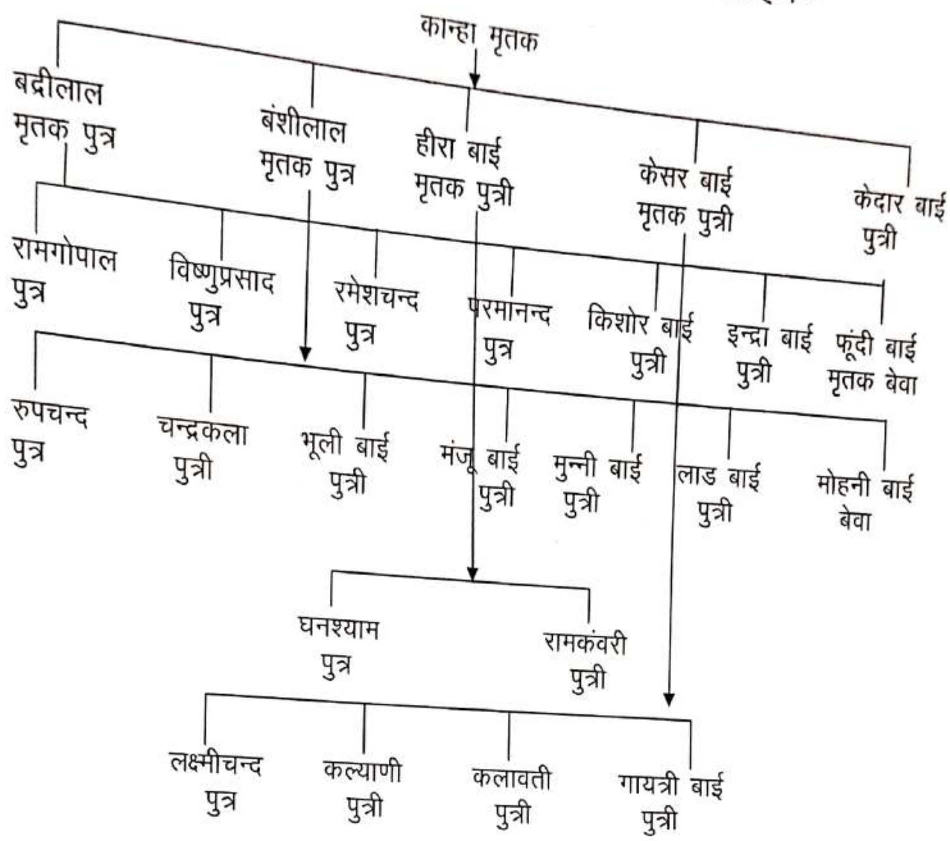

यह कि वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजीयात मे वादीगण क्रं. 1 लगायत 4 एवं प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 2 का संयुक्त रुप से 1/5 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी क्रं. 3/1 एवं 3/2 की माता स्व. हीरा बाई का 1/5 हिस्सा निहित है एवं मृतक केसर बाई प्रतिवादी नं. 4/1 लगायत 4/4 की माता स्व. केसर बाई का 1/5 हिस्सा निहित है, प्रतिवादी क्रं. 5 लगायत 10 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नं. 11 का 1/5 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2037 से 2076 वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजीयात है जो राजस्व रेकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार दर्ज चली आ रही है।

यह कि वाद पंत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज ग्राम कमोलर तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 421 के खसरा नं. 929 की 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 930 की 1.28 हैक्टर, खसरा नं. 1053 की 0.45 हैक्टर, खसरा नं. 263 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 1359 की 2.28 हैक्टर कुल किता 5 की 4.06 हैक्टर आराजी मे दर्ज प्रतिवादी क्रं. 3/1, 3/2 की माता हीरा बाई व प्रतिवादी नं. 4/1 लगायत 4/4 की माता केसर बाई द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने सगे भाई बद्रीलाल के पक्ष में अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 को पंजीयन क्रम संख्या 2008001064 उपपंजीयक सांगोद के यहां हकत्याग डीडी मे पंजीयन कराकर कब्जा सम्भला दिया था इसी प्रकार ग्राम बोरदा तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 133 के

Conti.....4

उप... ...कारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं. 361 की 0.67 हैक्टर, खसरा नं. 368 की 2.90 हैक्टर, खसरा नं. 376 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 377 की 2.67 हैक्टर कुल किता 4 की 6.21 हैक्टर मे निहित सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी क्रं. 3/1, 3/2 की माता हीरा बाई एवं प्रतिवादी क्रं. 4/1 लगायत 4/4 की माता केसर बाई द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अपने सगे भाई बद्रीलाल के पक्ष में अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 पंजीयन क्रं. सं. 2008001063 उपपंजीयक के यहां हकत्याग डीड पंजीयन कराकर कब्जा सम्भला दिया था।

यह कि वादीगण द्वारा आराजी की नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर उपरोक्त रिलीज डीड के आधार पर राजस्व अधिकारी की गलती के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के पिता स्व. बद्रीलाल के पक्ष में रिलीज के आधार पर खाते दर्ज नही हुई है जिसको खाते लगवाने का वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1, 2 को विधिक अधिकार प्राप्त है।

यह कि बद्रीलाल पुत्र कान्हा की मृत्यु हो जाने से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 उसके वैद्य वारिस होने से पक्षकार बनाये गये हैव केसर बाई पुत्री कान्हा की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादी क्रं. 4/1 लगायत 4/4 प्रतिवादी वैद्य वारिस होने से पक्षकार बनाये गये है। हीरा बाई की मृत्यु हो जाने से उनके वारिस प्रतिवादी नं. 3/1व 3/2 मृतक हीरा बाई के वैद्य वारिस होने से पक्षकार बनाये गये है तथा तहसीलदार सांगोद भी आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाये गये है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के पिता बद्रीलाल का स्वर्गवास हो जाने से बद्रीलाल के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 वैद्य उत्तराधिकारी होने से उपरोक्त रिलीज आराजी की घोषणा अपने नाम से कराने के वैद्य अधिकारी है। इसलिए वाद घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि वाद कारण द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी प्राप्त करने तथा तहसीलदार साहब सांगोद से रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 क्रम संख्या 2008001064 व रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 पंजीयन क्रमांक 2008001063 के आधार पर इन्तकाल खोलने की कहने पर उनके द्वारा एक माह पूर्व न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर अपने नाम घोषणा रिलीज आराजी की करवाने की कहने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री सादर पारित फरमाई जावे कि :–

Conti.....5

उप... ...री
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

अ. यह कि वाद पत्र के मद नं. मे वर्णित आराजी माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 133 के खसरा नं. 361 की 0.67 हैक्टर, खसरा नं. 368 की 2.90 हैक्टर, खसरा नं. 376 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 377 की 2.67 हैक्टर कुल किता 4 की 6.21 हैक्टर मे निहित सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी क्रं. 3/1, 3/2 की माता हीरा बाई एवं प्रतिवादी क्रं. 4/1 लगायत 4/4 की माता केसर बाई द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अपने सगे भाई बद्रीलाल के पक्ष में अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 पंजीयन क्रं. सं. 2008001063 उपपंजीयक के यहां हकत्याग डीड पंजीयन कराकर कब्जा सम्भला दिया था। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के रिलीज डीड के आधार पर खाते की घोषणा सम्भाग मे कि जावे व इसी प्रकार ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 421 के खसरा नं. 929 की 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 930 की 1.28 हैक्टर, खसरा नं. 1053 की 0.45 हैक्टर, खसरा नं. 263 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 1359 की 2.28 हैक्टर कुल किता 5 की कुल 4.06 हैक्टर आराजी मे दर्ज प्रतिवादी क्रं. 3/1, 3/2 की माता हीरा बाई व प्रतिवादी नं. 4/1 लगायत 4/4 की माता केसर बाई द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने सगे भाई बद्रीलाल के पक्ष में अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 को पंजीयन क्रम संख्या 2008001064 उपपंजीयक सांगोद के यहां हकत्याग डीडी मे पंजीयन कराकर कब्जा सम्भला दिया था के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के हक मे खाते की घोषणा सम्भाग में की जावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण क्रं. 3/1 व 3/2 तथा 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 की तरफ से अधिवक्ता श्री मोहम्मद अशफाक व उमाशंकर शहर ने वकालत नामा प्रस्तुत कर इकवाली जवाब प्रस्तुत किया एवं इकबाली जवाब दावे मे वाद को सही एवं सत्य होना स्वीकार किया एवं मृतक हीरा बाई पुत्री कान्हा व मृतक केसर बाई पुत्री कान्हा द्वारा मृतक बद्रीलाल पुत्र कान्हा सगे भाई के पक्ष मे अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी की रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 को पंजीयन क्रम संख्या 2008001063 एवं दिनांक 27.08.2008 पंजीयन क्रम संख्या 2008001064 उपपंजीयक सांगोद के यहां हकत्याग डीड पंजीयन करवाकर कब्जा सम्भला दिया जाना स्वीकार किया है जो स्व. बद्रीलाल पुत्र श्री कान्हा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमोलर के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण क्रं. 1 व 2 के कब्जे एवं स्वामित्व मे चली आना स्वीकार किया है। जिसे राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज किये जाने मे कोई आपत्ति नही है साथ ही वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णि आराजी माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 133 के खसरा नं. 361 की 0.67 हैक्टर, खसरा नं. 368 की 2.90 हैक्टर, खसरा नं. 376 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 377 की 2.67 हैक्टर कुल किता 4 की 6.21 हैक्टर मे निहित सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी क्रं. 3/1, 3/2 की माता हीरा बाई एवं प्रतिवादी क्रं. 4/1 लगायत 4/4 की माता केसर बाई द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अपने सगे भाई बद्रीलाल के पक्ष में अपने हिस्से की सम्पूर्ण आराजी रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 पंजीयन क्रं. सं. 2008001063 उपपंजीयक के यहां हकत्याग डीड पंजीयन कराकर कब्जा सम्भला दिया था।

Conti.....6

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

इसलिए वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के रिलीज डीड के आधार पर खाते की घोषणा किया जाना स्वीकार किया है इसी प्रकार ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 421 के खसरा नं. 929 की 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 930 की 1.28 हैक्टर, खसरा नं. 1053 की 0.45 हैक्टर, खसरा नं. 263 की 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 1359 की 2.28 हैक्टर कुल किता 5 की कुल 4.06 हैक्टर आराजी मे दर्ज प्रतिवादी क्रं. 3/1, 3/2 की माता हीरा बाई व प्रतिवादी नं. 4/1 लगायत 4/4 की माता केसर बाई द्वारा अपने जीवनकाल मे अपने सगे भाई बद्रीलाल के पक्ष में अपने सम्पूर्ण हिस्से की आराजी रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 को पंजीयन क्रम संख्या 2008001064 उपपंजीयक सांगोद के यहां हकत्याग डीडी मे पंजीयन कराकर कब्जा सम्भला दिया था जिसके आधार पर घोषणा किया जाना स्वीकार किया है। प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 क्रमांक 2008001063 ग्राम बोरदा एवं रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 क्रमांक 2008001064 ग्राम कमोलर के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के संयुक्त रुप से खाते की घोषणा किया जाना स्वीकार किया है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रतिवादी क्रं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 के विरुद्ध वाद का प्रत्याहरण किये जाने का प्रस्तुत हुआ व निवेदन किया कि वादीगण को प्रतिवादी क्रं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नही करना है। इसलिए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रतिवादीगण क्रं. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 व 13 के विरुद्ध कार्यवाही WITHDRWAL कर ड्रोप की गई।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 तथा प्रतिवादी क्रं. 3/1 घनश्याम, प्रतिवादी क्रं. 3/2 रामकंवरी, प्रतिवादी क्रं. 4/1 लक्ष्मीचन्द, प्रतिवादी क्रं. 4/2 कल्याणी बाई, प्रतिवादी क्रं. 4/3 कलावती बाई, प्रतिवादी क्रं. 4/4 गायत्री बाई के मध्य राजीनामा हुआ जो प्रस्तुत हुआ। राजीनामा मे वर्णित तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि राजीनामा अनुसार राजीनामा की मद नं. 1 मे वर्णित आराजी माल ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद की आराजी :-

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा हैक्टर
नई 421	1053 कुआ वाली	0.45 हैक्टर
	1063	0.03 हैक्टर
	1359 तलाई	2.28 हैक्टर
	929	0.02 हैक्टर
	930	1.28 हैक्टर
कुल किता	5 की	कुल 4.06 हैक्टर

एवं

माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 133 के खसरा नं. 361 की 0.67 हैक्टर, खसरा नं. 368 की 2.90 हैक्टर, खसरा नं. 376 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 377 की 2.67 हैक्टर कुल किता 4 की 6.21 हैक्टर मे मृतक स्वर्गीय केसर बाई पुत्री कान्हा, मृतक स्वर्गीय हीराबाई पुत्री कान्हा

Conti.....7

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

के 1/5, 1/5 हिस्से की आराजी को रिलीज डीड दिनांक 27.08.2008 पंजीयन क्रमांक 2008001063 व पंजीयन क्रमांक 2008001064 उपपंजीयक सांगोद के यहां हकत्याग डीड पंजीयन के अनुसार मृतक बद्रीलाल पुत्र कान्हा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कमोलर के वारिसान वादीगण क्रम 1 रामगोपाल, वादीगण क्रं. 2 विष्णु प्रसाद, वादीगण क्रं. 3 रमेशचन्द्र, वादीगण क्रं. 4 परमानन्द पुत्र बद्रीलाल व प्रतिवादी क्रं. 1 किशोर बाई व प्रतिवादी क्रं. 2 इन्द्रा बाई पुत्रिया बद्रीलाल के नाम की घोषणा किये जाने एवं घोषणा अनुसार राजस्व रेकार्ड मे घोषणा किये जाने का राजीनामा हुआ है जिसमे हमें कोई आपत्ति नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा अनुसार उक्त दावा का निस्तारण व निर्णय किया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

यह कि वादी क्रं. 4 परमानन्द पुत्र श्री बद्रीलाल द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र PW.1 प्रस्तुत हुआ। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 88, 89 आर.टी एक्ट प्रस्तुत हुआ जो प्रदर्श P.1 है। ग्राम कमोलर की जमाबन्दी खाता संख्या नई 421 प्रदर्श P.2 है कुल खसरे 5 कुल रकबा 4.06 है प्रदर्श P.2 है। ग्राम बोरदा की जमाबन्दी खाता संख्या नई 133 कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.21 है प्रदर्श P.3 है। रिलीज डीड माल ग्राम बोरदा दिनांक 27.08.2008 पंजीयन क्रमांक 2008001063 प्रदर्श P.4 है। रिलीज डीड माल ग्राम कमोलर खाता संख्या नई 211 कुल किता 5 रकबा 4.06 है जो प्रदर्श P.5 है, हीरा बाई पुत्री कान्हा का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श P.6 है, केसर बाई पुत्री कान्हा पत्नि गजानन्द का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श P.7 है, बद्रीलाल पुत्र कन्हैयालाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श P.8 है, जमाबन्दी ग्राम कमोलर खाता संख्या नई 211 कुल किता 5 रकबा 4.06 प्रदर्श P.9 है, जमाबन्दी ग्राम बोरदा खाता संख्या नई 63 कुल किता 4 रकबा 6.21 है जो प्रदर्श P.10 प्रस्तुत कर परिलक्षित करवाये गये है।

प्रतिवादी क्रं. 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी क्रं. 12 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई है। अधिवक्ता उभय द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं राजीनामा प्रस्तुत करने से राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार की जाने की प्रार्थना की।

उक्त प्रकरण मे मैने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों प्रदर्श 1 लगायत 10 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व वादीगण प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई बहस मे वकील वादीगण ने वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

Conti.....8

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली का गहनता से अवलोकन करने से मैने यह पाया कि पत्रावाली मे इकबाली जवाब प्रतिवादीगण राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 4/4 उपलब्ध है। उनसे यह प्रतीत होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाकर अन्तिम रुप से डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि :–

आराजी ग्राम कमोलर पटवार हल्का कमोलर तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 421 पुराना 239 की खसरा नं. 1053 कुआ वाली रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नं. 1063 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 1359 रकबा 2.28 हैक्टर, खसरा नं. 929 की 0.02 हैक्टर, खसरा नं. 930 की 1.28 हैक्टर, कुल किता 5 की कुल रकबा 4.06 हैक्टर आराजी एवं माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद की खाता संख्या नई 133 पुरानी 70 की खसरा नं. 361 की 0.67 हैक्टर, खसरा नं. 368 की 2.90 हैक्टर, खसरा नं. 376 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 377 की 2.63 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 6.21 हैक्टर उपरोक्त वर्णित आराजी ग्राम बोरदा एवं कमोलर मे दर्ज हीरा बाई पुत्री कान्हा हिस्सा 1/5 सम्पूर्ण व केसर बाई पुत्री कान्हा हिस्सा 1/5 सम्पूर्ण के स्थान पर वादीगण क्रं. 1 रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर, क्रं. 2 विष्णु प्रसाद पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर, क्रं. 3 रमेशचन्द्र पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर, क्रं. 4 परमानन्द पुत्र बद्रीलाल जाति गुर्जर प्रतिवादी क्रं. 1 कसोर बाई पुत्री बद्रीलाल जाति गुर्जर, क्रं. 2 इन्द्रा बाई पुत्री बद्रीलाल जाति गुर्जर निवासीगण कमोलर तहसील सांगोद को खातेदार कृषक होना घोषित किया जाता है। घोषणा के अनुसार नाम बराबर हिस्सा सम्भाग दर्ज करने की घोषणा की जाती है। घोषणा के अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद ग्रस्त आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। डिग्री पर्चा प्रथम से जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम की जावे।

(रामावतार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 27/01/25 को खुले न्यायालय मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner